

सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) और 6(3) के अंतर्गत आवेदन

सेवा में


दिनांक:09.12.2020

श्रीमान जन सूचना अधिकारी
पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

विषय: सूचना अधिकार के तहत आवेदन (RTI) Act-2005 के अंतर्गत पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड से संबंधित सूचनाये प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

1. मुझे चार्जशीट मिलने से पहले 800 के वी चाम्पा-कुरुक्षेत्र पारेषण लाइन से सम्बंधित शिकारपुर गाँव जिला-मुजफ्फरनगर के किसानो ने दिनांक 05.07.2019 को श्री वी.पी सिंह (कर्मचारी संख्या-40157) व् जाँच अधिकारी श्री पी.के.अग्रवाल (कर्मचारी संख्या-20142) के खिलाफ शिकायत की थी | जिसके अनुशरण में दिनांक 19.08.2019 को विजिलेंस ने किसानो के पते पर डाक द्वारा पत्र भेजकर सत्यता की पुष्टि की थी | शिकायत की पुष्टि किसानो ने दिनांक 28.08.2019 के पत्र से निर्धारित समय पर की थी | सत्यता की पुष्टि होने के उपरान्त इस शिकायत पर विजिलेंस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? प्रमाण के साथ जानकारी दी जाये ?
2. चार्जसीट संदर्भ संख्या-उ.क्षे.-3/Rihand/2019/Confidential/1194 दिनांक 23.07.2019 में लिस्टेड शिकायत P-22 जो एक संयुक्त शिकायत है | यह शिकायत विजिलेंस को किस माध्यम द्वारा प्राप्त हुई है कृपया प्रमाण दे ?
3. चार्जसीट संदर्भ संख्या-उ.क्षे.-3/Rihand/2019/Confidential/1194 दिनांक 23.07.2019 में लिस्टेड शिकायत P-13 व् P-15 दिनांक 10.11.2017 विजिलेंस को किस माध्यम द्वारा प्राप्त हुई है ? कृपया प्रमाण दे ?
4. शिकायतों P-22, P-13 और P-15 की सत्यता की पुष्टि विजिलेंस ने किस माध्यम से की है ? कृपया प्रमाण संलग्न करे ?
5. चार्जसीट संदर्भ संख्या-उ.क्षे.-3/Rihand/2019/Confidential/1194 दिनांक 23.07.2019 में लिस्टेड P-13,14,15,16,17 और 22 को रिकॉर्ड करते समय जाँच अधिकारी श्री पी.के.अग्रवाल (कर्मचारी संख्या-20142) के साथ श्री वी.पी. सिंह ((कर्मचारी संख्या-40157) के हस्ताक्षर विजिलेंस ने किस स्वीकृति के तहत कराये गये थे ? उस स्वीकृति की प्रतिलिपि संलग्न करे ?
6. मुझे चार्जशीट मिलने से पहले 800 के वी चाम्पा-कुरुक्षेत्र पारेषण लाइन से सम्बंधित शिकारपुर गाँव जिला-मुजफ्फरनगर के किसानो ने दिनांक 05.07.2019 में जाँच अधिकारी श्री पी.के.अग्रवाल (कर्मचारी संख्या-20142) और श्री वी.पी सिंह (कर्मचारी संख्या-40157) खिलाफ शिकायत की थी | जिसका सम्पूर्ण जिक्र प्रश्न-1 में किया है | उसके बाद भी, जाँच अधिकारी ने उनके खिलाफ दिनांक 05.07.2019 को शिकायत लिखने वाले कुछ किसानो को अपना गवाह किस नियम के तहत बनाया कृपया प्रमाण दे ?

भवदीय


09/12/2020
अशोक कुमार

पता:-फ्लैट संख्या-अ-33 फर्स्ट फ्लोर,पार्सर्वनाथ सिटी फैजाबाद रोड,लखनऊ,पिन-226028

सम्पर्क :-8299500936